न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 19/2021
प्रविष्टि दिनांक 28–1–2021

हसन अली पुत्र गेन्दा उर्फ शराफत अली जाति मुसलमान निवासी हायर सै0 स्कूल के पीछे वार्ड नं0 8 अलीगढ़ तहसील उनियारा जिला – टोंक राज0

–अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला– टोक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय तहसीलदार उनियारा दिनांक 6–1–2021 मिसल नम्बर 1257/2020

उपस्थिति : (1) श्री सेतराम चौधरी अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

<u>निर्णय</u> दिनांक 20–1–2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 6–1–2021 के द्वारा अपीलान्ट को चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1147 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम उखलाना में मुर्गाखाना बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने 4/रूपये की पेनल्टी कायम कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को तहसीलदार उनियारा द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नही कराई गई है। अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय एकतरफा में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौका निरीक्षण नहीं किया ओर न ही वास्तविक मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार उनियरा को स्वंय मौके पर जाकर मौके का निरीक्षण कर यह भली भांति साबित होने के बावजूद [illegible] उक्त भूमि [illegible] अपीलान्ट का कब्जा है अथवा नही ? तत्पश्चात कब्जा साबित होने के उपरान्त ही [illegible] पारित किया जाना चाहिये था। अपीलान्ट के अभिभाषक का यह भी कथन है कि तहसी[illegible] उनियारा ने अपीलान्ट को एक ही निर्णय के द्वारा तीन स[illegible] [illegible] पेनल्टी कायम करने व सिविल कारावास की सजा [illegible] पारित [illegible] है कानूनन

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:59:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजायें एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। विवादित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1147 वाके ग्राम उखलाना में 0.01 है0 पर अतिक्रमण कर मुंर्गाखाना बना कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलान्ट द्वारा चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1147 वाके ग्राम उखलाना में 0.01 है0 पर अतिक्रमण किया है। जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। उक्त अतिक्रमिण भूमि की किस्म चरागाह है एंव किसी भी राज्यादेश के तहत नियमन योग्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 6–1–2021 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20–1–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर
टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:59:50 IST
Reason: SelfAttested